

FROM No.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत... महाशु कुलकर्णी एवं S.O. मुकाम... वयस

..... पद्मराम बनाम शैलाराम कोर

किस्म मुकदमा... वगैर शाबे 111,128 RRACT नं. 292/17 सन् 2017

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19/12/17	प्राथी/वादी/अपीलांट के वकील श्री <u>सुभासिंह चौधरी</u> ने यह प्रार्थना/यत्र/वाद/अपील धारा <u>111,128 RRACT</u> राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्राथी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>24/01/18</u> को पेश हो।	
24/01/18	<u>सहायक कलेक्टर (SDO)</u> <u>वायव</u> प्राथी वकील उपस्थित। विप्राथी/गण के नोटिस तामिल शुद्धा प्राप्त निये शामिल पत्रावली गिना गया। विप्राथी- गण वावजुस तामिल अनुपस्थित। अतः वास्ते वाइस पत्रावली दिनांक <u>24/01/18</u> को पेश हो।	
12/02/18	प्राथी वकील उपस्थित। विप्राथी/गण वावजुस तामिल अनुपस्थित। सीमान पीठामेन अधिवादी वाइ डीप्टर डिग्न कर्मो मे वयस्य दोने ले मिवाल इल्लवा डीकर आगाथी दिनांक <u>20/03/18</u> को पेश हो।	

20/03/18

पार्थी वहील उपस्थित। विपार्थीगिण अनु०।
 पार्थी के अधिवक्ता की सहस्रीय वरम लुनी
 गई। पार्थी के अधिवक्ता ने बताया की पार्थी
 को अपने ध्यालेदारी खेलों के चारों ओर पम्के
 नेषम स्थापित करवाना आवश्यक है। इसलिए
 पार्थी का नेषमबनी आवेदन स्वीकार किया जाकर
 नेषमबनी आइका किया जावे। अतः पार्थी का
 नेषमबनी आवेदन स्वीकार किया जाकर तदतीकार
 बामुद को कमिशनर नियुक्त किया जाता है व
 आइका दिया जाता है कि आप स्वयं या
 अपने अधिनायक किसी भी भू अभिलेख निरीक्षक
 से पार्थी के ध्यालेदारी खेलों की पम्की नेषमबनी
 मोठे पर शुल्क जमा कराकर उसे पालना रिपोर्ट
 प्राप्त होने पर बामिल पत्रावली दी पत्रावली
 नमल शुमार दी दर्ज नम्बर में भु दी दाखिल
 करवाए है।

सहायक कलम 100
 बाय 9